न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,धनबाद।

(छोटानागपुर काश्तकारीअधिनियम की धारा 46 के तहत अनुमति)

एम0 आर0 केश नं0– 65 / 2023–24

–:आदेश:–

अभिलेख आज उपस्थापित। आवेदक के आवेदन के आलोक में अंचल अधिकारी, बाघमारा से जॉच प्रतिवेदन की मांग की गयी। अंचल अधिकारी, बाघमारा के पत्रांक– 798, दिनांक– 21.07.2023 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से पता चलता है कि आवेदक सर्वेश्वर मुर्मू पिता– स्व0 दुबराज मांझी, साकिम– कांको, थाना– कतरास, जिला– धनबाद, वर्तमान पता– शक्तिपुर, पो0– श्रीरामपुर, थाना– तोपचॉची, जिला– धनबाद अपनी जमीन मौजा– कांको, मौजा नं0– 206, गत् खाता सं0– 48, गत प्लॉट सं0– 647, हाल खाता सं0– 115, हाल प्लॉट सं0– 1430 एवं 1427, क्रमशः रकवा– 07 डिसमील एवं 03 डिसमील भूमि क्रेता मनमोहन टुडु, पिता– रतिलाल टुडु, साकिम– तिलाटॉड़, थाना– कतरास, जिला– धनबाद को बेचने की अनुमति चाहते है। अंचल अधिकारी ने अपने प्रतिवेदन मे प्रतिवेदित किया है कि विक्रेता एवं क्रेता जाति के संथाल है तथा दोनो एक ही थाना– कतरास, जिला– धनबाद के निवासी है। जमीन रैयती खाते की है, बिक्री के पश्चात् आवेदक के पास 1.95 एकड़ शेष भूमि बचती है। अंचल अधिकारी के द्वारा आवेदित भूमि की बिक्री हेतु अनुमति देने की अनुशंसा भी की गयी है।

अतः छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत आवेदक को प्रश्नगत जमीन बिक्री करने की अनुमति उपायुक्त द्वारा निर्धारित दर पर की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित,

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
धनबाद।

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
धनबाद।

Digitally signed by SATISH CHANDRA
Date: 2023.09.02 15:59:20 +05:30
Location: 192.168.29.168

Scanned by CamScanner